



2026:AHC-LKO:42270-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5430 वर्ष 2026

दीपिका शर्मा एवं अन्य

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ

एवं अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: रविंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रसाद

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

माननीय न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत विरोधी पक्षकार संख्या 3 को सूचना दिया जाना अपवर्जित किया जाता है।
3. याचिका पुलिस थाना-कोतवाली, जनपद-बाराबंकी में बीएनएस की धाराओं 333, 352, 115(2), 109(1), 351(3) (तत्स्थानी धाराएं 452, 504, 323, 504, 323, 307 और 504 भादंसां) के अधीन मुकदमा अपराध संख्या 403 वर्ष 2026 में पंजीकृत प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.05.2026 को उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करते हुए निरस्त किए जाने की मांग करती है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को दिनांक 3.6.2026 के लिखित निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया और जिनके अनुसार याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध बीएनएस की धारा 109(1) हटा दी गई है।
5. इसके दृष्टिगत, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शेष धाराओं में अधिकतम सात वर्ष की अवधि के दंड का प्रावधान है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क, तत्स्थानी धारा 35 बीएनएसएस के अधीन संरक्षण प्रदान किया जाए।
6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित रूप से किए गए अपराधों में सात वर्ष तक के कारावास का दंड अंतर्विष्ट है। ऐसी परिस्थितियों में विवेचना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और धारा 41-क (धारा 35 बीएनएसएस) के उपबंधों का अनुपालन भारत के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273 में प्रतिपादित अनुसार किया जाए।

7. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष पर विचार किया है। अर्नेश कुमार (उपरोक्त) में निम्नलिखित (प्रासंगिक भाग) निर्णीत किया गया है:-

"9. एक अन्य प्रावधान अर्थात् धारा 41क दं०प्र०सं० जिसका उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी या अभियुक्त पर मंडरा रही गिरफ्तारी की धमकी से बचना है को प्रभावी किया जाना आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (अधिनियम 5 वर्ष 2009) की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित धारा 41क जो इस संदर्भ में प्रासंगिक है निम्नानुसार है:

"41क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना-

(1) पुलिस अधिकारी सभी मामलों में जहां धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त शिकायत की गई है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, या युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, अपने समक्ष या सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना की शर्तों का अनुपालन करे।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए इच्छुक नहीं है वहां पुलिस अधिकारी इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए सूचना में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है।"

"उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि सभी मामलों में जहां दं० प्र० सं० की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को किसी विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए सूचना जारी करना अपेक्षित है। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करती है और यह आगे अधिदेशित करती है कि यदि ऐसा अभियुक्त सूचना की शर्तों का

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी दं० प्र० सं० की धारा 41 के अंतर्गत परिकल्पित गिरफ्तारी के लिए पूर्ववर्ती शर्त का अनुपालन किया जाना है और वह उपरोक्तानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा उसी संवीक्षा के अधीन होगी।"(हमारे द्वारा प्रभाव वर्धित)

8. अर्नेश कुमार मामले (उपरोक्त) में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए पक्ष पर विचार करते हुए, जिसका प्रासंगिक भाग ऊपर उद्धृत किया गया है, यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-क (तत्स्थानी धारा 35 बीएनएसएस) के उपबंधों और अर्नेश कुमार मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद) (न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

29 जून, 2026

फहीम/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।